

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

वाक्य संख्या पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
54/22	251 RTA	कडुआ, जो	3939
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
कल्याण		बनाम	जगदीश
वकील :- शंजेश लोधा		<b>आदेश पत्रक</b>	वकील :-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ	
22/6/22	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0 एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक ...21.8.22... को पेश हो।		
21/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी 6 व 7 को तलवी एवं 7 को तलवी तालील सम्मन प्राप्त। वाजुद सुनना के अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी 6 व 8 को तलवी हेतु तलवी पेश करें। वरते तलवी पत्रावली दिनांक 12/10/22 को पेश हो।		
12/10/22	स्थानान्तरण कार्यवाही के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक ...6/12/22... को पेश हो।		
6/12/22	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)		
6/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी 6 व 8 को तलवी हेतु तलवी भाग ही पेश करें। वरते तलवी। तलवी पत्रावली दिनांक 17/01/23 को पेश हो।		
17/1/23	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कार्यवाही के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक ...14/3/23... को पेश हो।		

3/14/23

कार्यवाही के अन्तर्गत अन्य कार्य में

कार्य के कारण कार्यालयी पूर्ववत स्थिति में  
दिनांक 25/11/23 को पेश हो।

१५

कार्यालय उपरि उल्लेखित अधिकारी  
उत्तरा, बारा,

3/14/23

कार्यालयी कार्रवाई के बाद पूर्ववत स्थिति में आकर  
पेश हुई। कार्यालय के प्रार्थी अनुपस्थित। तीन बार  
कार्यालय पुकार गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण  
असल हाजरी असल पेश की शक्ति किये जाते हैं।  
कार्यालयी कार्रवाई होकर दायित्व दफ्तर हो।

१५